UPGB010073822026

न्यायालयः–सत्र न्यायाधीश, गौतम बुद्ध नगर।
उपस्थित–श्री अतुल श्रीवास्तव (एच0जे0एस0)
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–3061 सन् 2026

कर्मवीर प्रति उत्तर प्रदेश राज्य।

आदेश

1	नाम अभियुक्त/पिता का नाम	कर्मवीर पुत्र श्री रतन सिंह
2	अपराध संख्या	104/ 2026
3	पुलिस थाना	नॉलेज पार्क
4	अन्तर्गत धारा	13(4), 13(5) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 व 66 आई0टी0 एक्ट व धारा 111(3), 111(4), 318(2), 61(2) बी0एन0एस0
5	अभियुक्त अधिवक्ता	श्री कुंवर रियासत अली व श्री सुरेन्द्र कुमार मिश्रा
6	जिला शासकीय अधिवक्ता	श्री ब्रहमजीत सिंह

1– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन में यह आधार लिया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे उक्त अपराध में झूठा फसाने का प्रयास किया जा रहा है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। थाना हाजा की पुलिस अभियुक्त को उसके मोबाइल नम्बर 8476004710 के आधार पर फर्जी तरीके से साक्ष्य तैयार करके फसाना चाहती है, जबकि अभियुक्त द्वारा कभी भी अपने उपरोक्त मोबाइल नम्बर का न तो वाट्सएप चलाया है और न ही वाट्सएप कॉल की है। यदि अभियुक्त का मोबाइल नम्बर उपरोक्त मुकदमे के अभियुक्तगण द्वारा हैक करके किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गयी है, तो उसके लिए अभियुक्त को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तथाकथित घटना के दौरान अभियुक्त गांव धनौरा सिल्वर नगर व ग्राम ग्वाली खेडा में ग्राम विकास अधिकारी के रूप में विकास कार्यों में लगा हुआ था, जिसकी प्रत्येक दिन की हाजिरी ऑन लाइन खण्ड विकास अधिकारी एवं मुख्य जिला विकास अधिकारी लेता था तथा प्रत्येक दिवस के जी0पी0एस0 मैप कैमरे के माध्यम से फोटो खींचकर ऑन लाईन भेजे जाते थे, जिस कारण अभियुक्त की उक्त तथाकथित अपराध में कोई भूमिका किसी प्रकार की नहीं है। अभियुक्त के फोन नम्बर को उपरोक्त मुकदमे के अभियुक्त

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

प्रदीप के फोन में एस0ओ0जी0डी0 के नाम से सेव होना बताया गया है तथा अभियुक्त का नाम अरूण उर्फ अंकुर जिला बागपत बतलाया गया है, जबकि अभियुक्त न तो किसी प्रदीप को जानता है और न ही उससे कभी मुलाकात हुयी है तथा न ही किसी वाट्सएप के माध्यम से मैसेज एवं ऑनलाईन कॉल हुयी है। अभियुक्त का नाम अरूण उर्फ अंकुर नहीं है, जिससे साबित हो रहा है कि अभियुक्त को उपरोक्त फोन नम्बर के आधार पर उक्त केस में झूठा फसाने का प्रयास किया जा रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे कि उसके द्वारा तथाकथित अपराध कारित किया जाना पाया जाता हो। अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। यदि पुलिस द्वारा अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है, तो इससे अभियुक्त की समाज में छवि धूमिल होगी। अतः उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन को शपथ पत्र से समर्थित किया गया है। शपथ पत्र के अनुसार अभियुक्त का इस जमानत के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही है।

2— अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा विरोध किया गया।

3— मैंने उभय पक्षों की बहस विस्तार से सुना तथा पत्रावली पर अपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4— प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा उ0नि0 अक्षय परवीन कुमार त्यागी द्वारा थाना हाजा पर दिनांक 23—05—2026 को समय 05:37 बजे इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 22.05.2026 को एसटीएफ नोएडा को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि ग्रेटर नोएडा स्थित बोधी तारू इंटरनेशनल स्कूल परीक्षा केन्द्र पर आयोजित एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन परीक्षा में प्रदीप चौहान, अरुण कुमार, संदीप कुमार, निशांत राघव, अमित राणा तथा उनके अन्य सहयोगियों द्वारा अभ्यर्थियों से भारी धनराशि लेकर प्रॉक्सी सर्वर एवं साल्वरों के माध्यम से परीक्षा हल कराई जा रही है। सूचना के आधार पर एसटीएफ द्वारा दो टीमों का गठन कर परीक्षा केन्द्र एवं गाजियाबाद में एक साथ कार्रवाई की गई। परीक्षा केन्द्र पर छापेमारी के दौरान प्रदीप चौहान, अरुण कुमार, संदीप कुमार एवं निशांत राघव को पकड़ा गया तथा उनकी तलाशी एवं पूछताछ में कई मोबाइल फोन, अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, एंट्री कार्ड, परीक्षा सम्बन्धी पर्चियां तथा अन्य

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद हुए। प्रदीप चौहान ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर परीक्षा संचालक कम्पनी के नेटवर्क में अवैध रूप से अलग लाइन डालकर दो प्रॉक्सी सर्वर स्थापित किए थे, जिनके माध्यम से अभ्यर्थियों के कम्प्यूटरों को Any Desk सॉफ्टवेयर द्वारा दूरस्थ स्थानों पर बैठे साल्वरों से जोड़ा जाता था। अभियुक्तों के अनुसार अभ्यर्थियों के रोल नम्बर, सीट विवरण एवं अन्य जानकारी अमित राणा को भेजी जाती थी, जो लिंक तैयार कर साल्वरों को उपलब्ध कराता था और साल्वर अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर का नियंत्रण प्राप्त कर उनकी जगह पूरा प्रश्नपत्र हल कर देते थे। पूछताछ एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से यह भी प्रकाश में आया कि अभ्यर्थी शाकिर मलिक तथा विवेक कुमार की परीक्षा इसी तरीके से हल कराई जा रही थी। शाकिर ने स्वीकार किया कि उसने परीक्षा पास कराने के लिए लगभग रूपये 5 लाख में सौदा किया था, जबकि विवेक कुमार ने बताया कि उसने अपने परिचितों के माध्यम से रूपये 10 लाख में व्यवस्था कराई थी तथा रूपये 3 लाख अग्रिम भी दिए थे। अभियुक्तों के मोबाइल फोन की व्हाट्सएप चैट, साझा किए गए एडमिट कार्ड, सीट विवरण तथा धन के लेन–देन सम्बन्धी संदेशों से इस अवैध गतिविधि के साक्ष्य प्राप्त हुए। अभियुक्त अरुण कुमार ने स्वीकार किया कि उसने नेटवर्किंग एवं हार्डवेयर की सहायता से प्रॉक्सी सर्वर तैयार किए थे, जबकि संदीप कुमार अभ्यर्थियों को लाने एवं आर्थिक लेन–देन में शामिल था तथा निशांत राघव भी अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराने और धन के लेन–देन में संलिप्त था। सह–अभियुक्त अमित राणा को गाजियाबाद स्थित उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह परीक्षा केन्द्र पर स्थापित प्रॉक्सी सर्वरों को दूरस्थ रूप से संचालित करता था, अभ्यर्थियों से धन एकत्र करता था तथा साल्वरों को जोड़ने के लिए आवश्यक लिंक उपलब्ध कराता था। उसकी निशानदेही पर उसके निवास से रूपये 50,00,000 नकद, चार मोबाइल फोन एवं तीन लैपटॉप बरामद किए गए। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि उन्होंने परीक्षा संचालक कम्पनी के सुरक्षा तंत्र एवं फायरवॉल को बायपास करने के लिए तकनीकी बदलाव किए थे, ताकि प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग छिपाया जा सके। जांच के दौरान बरामद मोबाइल फोन, लैपटॉप एवं अन्य डिजिटल उपकरणों से महत्वपूर्ण चैट, मीडिया फाइलें तथा तकनीकी जानकारी प्राप्त हुई, जिनसे संगठित रूप से परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग का खुलासा हुआ। एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि अभियुक्तगण पूर्व में एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती तथा एसएससी स्टेनोग्राफर जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अनेक अभ्यर्थियों को इसी प्रकार अवैध रूप से लाभ पहुंचा चुके हैं तथा इसके बदले भारी धनराशि

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

प्राप्त करते रहे हैं। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर तकनीकी साधनों, प्रॉक्सी सर्वर, रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर एवं साल्वरों की सहायता से परीक्षा प्रणाली में सेंधमारी कर अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने तथा उससे आर्थिक लाभ अर्जित करने का आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध धारा 13(4), 13(5) उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 2024, धारा 66 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा धारा 111(3), 111(4), 318(2) एवं 61(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। कार्रवाई के दौरान कुल 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 05 लैपटॉप, 01 राउटर, 11 मोबाइल फोन, 02 एडमिट कार्ड, 04 एंट्री/आईडी कार्ड, एक पर्ची एवं रूपये 50 लाख नकद बरामद किए गए। वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी, जिसमें विवेचना प्रारम्भ हुई।

5— अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को झूठा व रंजिशन फसाया गया है। अभियुक्त ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। अभियुक्त का मोबाइल नम्बर किसी अन्य अभियुक्त प्रदीप के मोबाइल में सेव पाया गया था, जिसके आधार पर अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में अभियुक्त बना दिया है। वस्तुतः अभियुक्त ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है, जिसके मोबाइल की लोकेशन जी0पी0एस0 के माध्यम से ट्रैक की जा सकती है। अभियुक्त न तो किसी प्रदीप को जानता है और न ही उससे कभी मुलाकात हुयी है तथा न ही किसी वाट्सएप के माध्यम से मैसेज एवं ऑनलाईन कॉल हुयी है। अभियुक्त के विरूद्ध ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे कि उसके द्वारा उपरोक्त अपराध कारित किया जाना प्रकट होता हो। अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। अतः उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की याचना की गयी है।

6— अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर कांस्टेबल जी0डी0 की ऑनलाइन परीक्षा में सेंधमारी करके परीक्षा तन्त्र को विफल करके लाभ प्राप्त करना चाह रहा था। उक्त परीक्षा को सम्पन्न कराने के लिए Ediquity कम्पनी को ठेका दिया गया था। इस कम्पनी ने देशभर में परीक्षा केन्द्रों का चयन किया गया था तथा प्रत्येक सेंटर पर CDAC द्वारा ब्लू बॉक्स सर्वर लगाया गया था, जिसका काम ओ0एस0 इन्सटाल करना

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

था। अभियुक्त व सह–अभियुक्तगण द्वारा लैब संचालक व अन्य से धन लेकर नकल करने वाले अभ्यर्थियों की डिटेल साझा कर अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर को दूर से संचालित कर प्रश्नपत्र सॉल्व कराये जा रहे थे। यह सारी प्रक्रिया एक अत्यन्त कुशल गैंग के द्वारा संचालित की जा रही थी। अभी तक की विवेचना से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के मोबाइल नम्बर पर अनेक लिंक शेयर किए गये थे, जिससे सॉल्वर से सम्पर्क स्थापित किया जा सके। अभियुक्त का मोबाइल नम्बर आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से सर्वर से जोडा जाना पाया गया था। अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 की धारा 2एच के अंतर्गत संगठित अपराध की श्रेणी में आता है, जो इस अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत दण्डनीय है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (अधिनियम सं0 08/2024) की धारा 13(5) के अंतर्गत भी दण्डनीय है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के इस कृत्य से सार्वजनिक परीक्षा की सुचिता पर सामान्य जनमानस द्वारा संदेह व्यक्त करने की सम्भावना उत्पन्न हो गयी है, जो कि सामान्य परीक्षार्थियों को परीक्षा तन्त्र पर अविश्वास होने का कारण बन सकती है। अतः अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

7– प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त की भूमिका एस0सी0सी0 द्वारा आयोजित कांस्टेबल जी0डी0 की परीक्षा में अवैध माध्यमों से नकल कराने वाले गैंग के सदस्य के रूप में होना बतायी जा रही है। अभियुक्त को इस बात की पूरी जानकारी थी कि ऑन लाइन की जा रही परीक्षा में सह–अभियुक्तगण द्वारा एक प्रॉक्सी सर्वर बनाकर कुछ अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर का नियन्त्रण अपने पास ले लिया गया था एवं सॉल्वर से प्रश्नपत्र को सॉल्व कराया जा रहा था। इस प्रकार अभियुक्त को इस बात की पूरी जानकारी थी कि उक्त परीक्षा में सेंधमारी की जा रही है, जिसका वह हिस्सा रहा था। अभियुक्त को बालाजी डिजीटल लैब के मुख्य संचालक सह–अभियुक्त प्रदीप कुमार के लगातार सम्पर्क में होना बताया जा रहा है। अभियुक्त के मोबाइल नम्बर पर अनेक लिंक शेयर किया जाना पाया गया है, जिससे सॉल्वर से सम्पर्क स्थापित किया जा सके। अभियुक्त का मोबाइल नम्बर आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से सर्वर से जोडा जाना पाया गया था। ऐसी स्थिति में अपराध में अभियुक्त की सक्रिय भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। सह–अभियुक्तगण नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

निरस्त किए जा चुके हैं। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

अतः मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियों अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त नही है। अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक :–12–08–2026

(अतुल श्रीवास्तव)
सत्र न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर।
आई0डी0 नं0–यूपी–5738

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

Digitally signed by ATUL SRIVASTAVA
Date: 2026.08.12 15:26:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court